

अपर उपायुक्त का न्यायालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

कोल्हान एक्सक्यूशन वाद संख्या- 1/2014-15

काली चरण गुप्ता।

बनाम

अर्जुन ग्वाला एवं अन्य।


आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख
------------------------------	--------------------------------	---


आदेश

यह वाद दिनांक- 11.07.2014 को काली चरण गुप्ता, पिता- स्व० घुरा गुप्ता, निवासी- महुदी बाजार, पेट्रोलपम्प, नोवामुण्डी, पो०+थाना- नोवामुण्डी, जिला- पश्चिमी सिंहभूम द्वारा कोल्हान टाईटल वाद संख्या- 23(A)/2011-12 में पारित आदेश एवं डिक्री कार्यान्वयन हेतु देनदार अर्जुन ग्वाला, पिता- स्व० राम गोविन्द यादव एवं कन्हैया यादव, पिता- अर्जुन ग्वाला, निवासी- महुदी बाजार, नोवामुण्डी, पो०+थाना- नोवामुण्डी, जिला- पश्चिमी सिंहभूम के विरुद्ध दायर किया गया है। इस वाद में उभय पक्षों को नोटिस भेजा गया। लेकिन दिनांक- 02.06.2015 से ही स्वयं अथवा उनके अधिवक्ता द्वारा पैरवी नहीं की जा रही है। इससे प्रतीत होता है की दोनों पक्षों को अपने वाद भूमि में कोई अभिरुचि नहीं है।

अतः उक्त के आलोक में इस वाद को खारीज किया जाता है एवं वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

  
22.03.22  
अपर उपायुक्त,  
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

  
22.03.22  
अपर उपायुक्त,  
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा